FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थीः–
सोमाराम विश्नोई

बनाम

अप्रार्थीगणः–
तहसीलदार जोधपुर

किस्म मुकदमा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 129 / 2025

जीसीएमएस सं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
7/8/25	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.08.2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) (मुहर: उपखण्ड अधिकारी)	
19/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी के नोटिस भरकर पेश करे जो जरिए Reg. AD जारी हो। पत्रावली दिनांक 23/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] (मुहर: उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर))	नोटिस जारी किए। [हस्ताक्षर] Adv. 25/9/25
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित [illegible] प्राप्त हुई [illegible] मिसल [illegible] गया पत्रावली आगामी तिथि 7/10/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
7/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। [illegible] प्रार्थना पत्र पर [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय के सूचना पट्ट पर [illegible] आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] (मुहर: उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर))	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 129/2025
जीसीएमएस नंबरः 2025/265

प्रार्थीः–
1. सोमाराम विश्नोई पुत्र श्री भानाराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणी ग्राम सालोडी तह. व जला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–
1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 भू–राजस्व अधिनियम

–::आदेश::– दिनांकः– 7.10.25

उपस्थितिः– 1. श्री अरविन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुस्तैनी सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सालोडी पटवार हल्का बैरू भू.अ. निरीक्षक माणकलाव खसरा सं. 167, 255, 257, 494, 494/1, 338 जिसमें प्रार्थी के पिता भानाराम की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसानों के नाम जमाबंदी में दर्ज किए गए, जिसमें प्रार्थी का नाम गलत एवं त्रुटि से श्यामलाल इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य खातेदारी आदि भूमि जो ग्राम बैरू व सालोडी में सोमाराम विश्नोई जर्द है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सालोडी पटवार हल्का बैरू तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 167 रकबा 1.9830 हैक्ट. खसरा सं. 255 रकबा 1.5702 हैक्ट., खसरा सं. 257 रकबा 0.7932 हैक्ट. एवं खसरा सं. 338 रकबा 2.3229 हैक्ट. में श्यामलाल के स्थान पर सोमाराम विश्नोई के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक रीडर/2025/832 दिनांक 01.10.2025 को रिपोर्ट पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम सालोडी के खसरा सं. 338, 167, 255, 257, 494, 494/1 रकबा क्रमशः 2.3229 हैक्टे., 1.9830 हैक्ट., 1.5702 हैक्ट., 0.7932 हैक्ट., 1.2950 हैक्ट., 0.0567 हैक्टे. की भूमियां खातेदार भानाराम पुत्र अचलाराम फौत हो जाने पर नामान्तरकरण सं. 670 स्वीकृत दिनांक 05.08.2011 से वारिसान् के नाम अमलदरामद हुए जिसमें वारिस श्यामलाल पुत्र भानाराम वगै. दर्ज हुआ। उक्त खसरान् के अतिरिक्त ग्राम सालोडी के खसरा सं. 339/1 43/1, 365, 367, 368, 369, 370, 363, 366 की भमियों में भानाराम पुत्र अचलाराम फौत होने पर वारिसान् सोमाराम विश्नोई उर्फ पुत्र भानाराम दर्ज हुआ। प्रार्थी सोमाराम का नाम अन्य दस्तावेज यथा पेनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम सोमाराम विश्नोई पुत्र भानाराम तथा श्यामलाल पुत्र भानाराम नाम के एक ही व्यक्ति है। इसलिए वादी का नाम श्यामलाल पुत्र भानाराम के स्थान पर सोमाराम विश्नोई पुत्र भानाराम किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। ग्राम सालोडी के खसरा सं. 338, 167, 255, 257, 494, 494/1 रकबा क्रमशः 2.3229 हैक्टे., 1.9830 हैक्ट., 1.5702 हैक्ट., 0.7932 हैक्ट., 1.2950 हैक्ट., 0.0567 हैक्टे. की भूमियां खातेदार भानाराम पुत्र अचलाराम फौत हो जाने पर नामान्तरकरण सं. 670 स्वीकृत दिनांक 05.08.2011 से वारिसान् के नाम अमलदरामद हुए जिसमें वारिस श्यामलाल पुत्र भानाराम वगै. दर्ज हुआ। उक्त खसरान् के अतिरिक्त ग्राम सालोडी के खसरा सं. 339/1 43/1, 365, 367, 368, 369, 370, 363, 366 की भमियों में भानाराम पुत्र अचलाराम फौत होने पर वारिसान् सोमाराम विश्नोई उर्फ पुत्र भानाराम दर्ज हुआ। प्रार्थी सोमाराम का नाम अन्य दस्तावेज यथा पेनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम सोमाराम विश्नोई पुत्र भानाराम तथा श्यामलाल पुत्र भानाराम नाम के एक ही व्यक्ति है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम सालोडी पटवार हल्का बैरू तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 167 रकबा 1.9830 हैक्ट. खसरा सं. 255 रकबा 1.5702 हैक्ट., खसरा सं. 257 रकबा 0.7932 हैक्ट., खसरा सं. 494 रकबा 1.2950 हैक्ट., खसरा सं. 494/1 रकबा 0.0567 हैक्ट. एवं खसरा सं. 338 रकबा 2.3229 हैक्ट. रकबा की कृषि भूमियों में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम श्यामलाल के स्थान पर सोमाराम विश्नोई दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 7/10/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर